भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये — TEN RUPEES

रु. 10 — Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

11AA 518071

NOTARIAL NOTARIAL

- 8 NOV 2011

11/11/2012

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्ररूप–26

(नियम 4–क देखिए)

....निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र।

मैं रामसुख .... पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. मंगलराम आयु 68 वर्ष, जो 118/3 जी.एम.एस. रोड मार्ग निरंजनपुर थाना कोतवाली देहरादून का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ/शपथपत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:–

1 मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नही हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

मेरे विरूद्ध माननीय न्यायालय में निम्न वाद लम्बित है:– निस्तारण हो गया है।

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 1350/68 U/S 409 I.P.C

(ii) पुलिस थाना (थाने) कोतवाली जिला या जिले देहरादून राज्य उत्तर प्रदेश

(iii) संबधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण.............................. जिसके(जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है:– 2 वर्ष की सजा 1000/रुपये अर्थदण्ड

(iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपो) की विरचना की गई है माननीय न्यायालय जिला जज देहरादून के यहां उच्च न्यायालय अपील 255/71 में मात्र 1500/= रुपये का अर्थदण्ड अपील मन्जूर

Ram Sukh

(2) मुकदमा अपराध संख्या 94/731, 92 U/S 436, 511, 506 I.P.C माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद द्वारा स्थगन आदेश।

(3) मु० अ० सं० 44/95 U/S 323/504/506 I.P.C व S.C. S.T Act. माननीय न्यायालय द्वारा फाइनल रिपोर्ट मंजूर की गई है।

(4) मु० अ० सं० 74/462/96 U.S 147/148, 149, 436, 295 323 I.P.C माननीय न्यायालय द्वारा चार्ज की स्टेज पर चार्ज न बनने पर दोष मुक्त किया गया

(5) मु० अ० सं० 809A/97 U.S. 147, 323, 504, 506 I.P.C दोष मुक्त किया गया

(6) मु० अ० सं० 31/284/2000 U.S 409, 467, 468, 471 I.P.C माननीय न्यायालय संज्ञान नहीं लिया गया इसी मामले में आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा दोष मुक्त किया गया है।

(7) मु० अ० सं० 64/539/2000/ U/S 504, 506. I.P.C माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया

(8) मु० अ० सं० 202/2010 U/S 147/504/506/427/467/511 I.P.C माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया

(10) मु० अ० सं० 208/2010 U/S 147/452/384/506, 504/384 I.P.C माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया

(11) मु० अ० सं० 209/2010 U/S 224/225/147/341/353 I.P.C व 7 क्रिमिनल एमेण्डमेन्ट एक्ट माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया।

(12) मु० अ० सं० 211/10 3/1 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है विचाराधीन है

(13) मु० अ० सं० 10/2003 U/S 147, 353, 332 I.P.C माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया माननीय उच्च न्यायालय नैनिताल उत्तराखण्ड द्वारा स्थगन आदेश।

Ram Singh

NOTARY
Smt Shyam Lata Verma Advocate
Dehradun District
Reg. No 49(01)2006
GOVT. OF UTTRAKHAND (INDIA)

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे– ....

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं ....

(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

2 मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नही ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट नही किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):– NIL

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं– NIL
(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है– NIL
(iii) पुलिस थाना (थाने) NIL जिला (जिले) NIL राज्य NIL
(iv) संबधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है– NIL
(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे– NIL NIL
(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है– NIL

Ram Sukh
अभिसाक्षी

स्थानः– देहरादून।
के हस्ताक्षर
तारीखः–

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नही गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख को सत्यापित किया।

Ram Sukh
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

NOTARY
Smt Shyam Lata Verma Advocate
Dehradun District
Reg. No 49(01)2008
GOVT. OF UTTRAKHAND (INDIA)

This affidavit is sworn before me by
Shri Ram Shukh
who is identified by Shri.....
at Dehradun on.....
12/1/2012
Smt. SHYAM LATA VERMA
Advocate & NOTARY, Dehradun